मैं यह भी जानना चाहता हूं—स्या आपने इस पर भी विचार किया है कि इस बारे में राज्य सरकारों को लिखा जाय, गृह मंत्रालय की मारफत राज्य सरकारों पर दवाव डलवायें कि इस तरह के आफोन्स करने वाले लोग कहीं किसी तरह से जुर्मीने और माल की जब्ती से ही न छूटें बल्कि उनके खिलाफ़ कानुनी कार्यवाही भी हो।

श्री मृहस्मद शकी कुरेशी: श्रध्यक्ष महोदय, रेलवं 19 करोड़ टन माल की ढुलाई करती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की श्रनस्कुमुलस एक्टिविटीज में इन्डल्ज होते हैं।

भी नवल किशोर शर्माः ग्राज तो उनकी ताक्षाद काफ़ी हो गई है।

श्री मुहस्मव शकी कुरेशी: मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि सब वेईमान हैं. लेकिन चन्द जरूर वेइमान हैं जो वेईमानी करके नाजायज फायदा उठाते हैं। उनके खिलाफ़ कार्यवाही करने के लिये हमने फैसला किया हैं कि टाइम को कम कर देंगे। ग्रगर इसमें कोई कानूनी ककावट ग्राई तो उसको दूर किया जा सकता है।

लेकिन जहां तक रेलवे की वंगन्ज के इस्तेमाल का ताल्लुक है प्रगर इनके इस्तेमाल में कोई रुकावट पैदा होती है तो उसको दूर करने के लिये, जैसा मेम्बर माहब ने कहा है, हम को कानून में कोई तरमीम लानी पड़ेगी प्रौर वह तरमीम हम जरूर लायेंगे, क्योंकि बदले हुए हालात के तेहत ग्रगर कानून न बदला जाय तो वह कानून बेकार हो जाता है।

13.24 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

TWENTY-EIGHTH AND TWENTY-NINTH REPORTS SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): I beg to present the following Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes:—

- (1) Twenty-eighth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Fourteenth Report on the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel)—Reservations for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in (i) the Hindustan Steel Limited (Headquarter Organisation); (ii) Bhilai Steel Plant; (iv) Durgapur Steel Plant; and (v) Bokaro Steel Limited.
- (2) Twenty-ninth Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Nineteenth Report on the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing)—Reservation for, and employment of, scheduled castes and scheduled tribes in selected Major Ports viz., Bombay, Mormugao and Cochin on West Coast; and Madras, Visakhapatnam and Calcutta on East Coast

13.26 hrs.

PETITION RE NATIONALISATION OF PLANTATION INDUSTRY AND TRADE

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West): I beg to present a petition signed by Shri Rattan Lal Brahman, Vice-President, All-India Plantation

Workers Federation, Calcutta, and others regarding nationalisation of plantation industry and trade.

STATEMENT CORRECTING ANSW-ER TO STARRED QUESTION NO. 668 RE UNIFORMITY IN SELECTION ETC. OF VICE-CHANCELLORS

MR. SPEAKER: Prof. Nurul Hasa', may lay the statement on the Table.

227

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): I beg to lay on the Table a statement correcting the reply given to Parts (b) and (c) of Starred Question No. 668 on 15th April, 1974 by Shri N. C. Parashar regarding uniformity in selection, appointment and tenure of Vice-Chancellors.

## Statement

In reply to Parts (b) and (c) of the Starred Question No. 668 asked by Shri N. C. Parashar on April 15, 1974 in this House regarding uniformity in selection, appointment and tenure of Vice-Chancellors, it was stated the age of retirement of Vice-Chancellors of Central Universities is 65 years. The position stated was slightly in-While necessary provision for the retirement of the Vice-Chancellors at the age of 65 years has been made in the Statutes of the Aligarh Muslim University, Delhi University, Jawaharlal Nehru University, North-Eastern Hill University and Visva-Bharati, proposal for making a similar provision in the Statutes of the Banaras Hindu University is still under consideration.

It is regretted that the inaccuracy could not be detected earlier.

13.28 hrs.

## RE CONDUCT OF MEMBER

श्रध्यक्ष महे बियः में आप के सामने यह बात बड़ी मोच-समझ कर कह रहा हूं—— मेरे पास एक-श्राध मेम्बर ने लिख कर भी भेजा है, एक मेम्बर साहब ने जवानी भी बात की है, श्रपोजीशन के श्रीर इधर के मेम्बरों ने भी कहा है——इस हाउस के एक मेम्बर कुछ दिन हुए किसी गलत हालत में इस हाउस में श्रा गये श्रीर काफ़ी शोर शराबा किया। चेयरमैन ने भी श्रपना खलासा करवाने के लिये कहा—— चलो, मेरी गलती थी, छोड़ जाइये। मैंने इस बारे में कुछ मेम्बर्स से सलाह की है कि क्या करना चाहिये। किसी ने भी उसको एपूब नहीं किया कि ऐसा कन्डकट होना चाहिय मेरे पास दो-तीन दफ़ा पहले भी शिकायतें श्राई हैं कि ऐसी हालत में किसी बिजर्नसमैन के पास चले गये, कभी होटल में चले गये...

श्री एस० एस० बनर्जी (कानपुर) : उन्होंने ग्राण्ड होटल में बैठ कर वियेटर किया था।

श्रध्यक्ष महोदय : ऐसी बहत सी णिकायते मेरी नोटिस में घाई थीं, मैंने कुछ लोगों से भी पूछा था, फिर भी उनको बेनिफिट दे दिया गया-कुछ पी कर वह बैठते हैं। लेकिन वढते-बढते काम ज्यादा खराव हो गया कि वह अन्दर तक भी पहने । तो मैं ग्राप को यकीन दिलाता हं कि मैं इस के बारे में एक्शन लेने के लिये सोच रहा है। मैंने सोचा कि इतना ही कह दं नाम नही लेता. सभी जानते हैं, देखिये दनिया में घर बैठे कुछ करते हैं, बाहर भी कुछ करते हैं और श्राजवल तो विसी में कहा भी नहीं जा सकता. लेकिन हाउस में आ कर ऐसे करें मैं इसका बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हं। बाहर हो जाये तो उसकी रेमेडी भी अवलएविल है पुलिस के हवाले विध्ये जा सकते हैं, लेकिन हाउस के भ्रन्दर तो मैं भीर हाउस ही एक्शन ल सकते हैं। इसलिय कुछ प्रच्छा वात नहीं जंची । तीन साल से तीन-चार मतंवा शिकायत भ्रायी, पहले कहीं बिजनेसमैन के पास चले गये यह नहीं दोगे, वह नहीं करोगे, मुझे कहा गया। लेकिन कुछ हद होनी चाहिये। बाहर होते-होते हाउस में भ्रब भ्रा गये. भ्रौर बेचारे चेयरमैन ने अपनी खलासी कराने के लिये गले से उतारी बात।इसलियं दोनों तरफ से मुझ को कहा गया । यह न सोचिये कि इसमें मैं चुप बैठा मैं हं। सोच रहा हं कि क्या करना चाहिये।